वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तो के सम्बन्ध मे

प्रेशकः   संख्या ‰ EM1443/15-7-2001 – 1 (191) /2000

नीरा यादव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।
लखनऊ/ इलाहाबाद

शिक्षा अनुभाग – 7   लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त 2001

विशय : वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्ते।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक इन्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7(क क) – 3 के प्राविधानानुसार राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम की धारा – 7 (क क) के अधीन नियुक्ति किये जाने वाले अंशकालिक अध्यापकों के समबन्ध में समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों को अनिक्रमित करते हुए वित्त विहीन विद्यालयों के अंशकालिक अध्यापकों के लिये सेवा शर्ते निम्नवत निर्धारित की जाती है।

1–	नाम	ऐसे अध्यापक अंशकालिक अध्यापक कहे जायेगे।
2–	आयु	ऐसे अंशकालिक अध्यापकों की आयु उस कैलेण्डर वर्श की पहली जुलाई को, जिसमें यथास्थिति प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापित की जाय, न्यूनतम इक्कीस वर्श की हो गई हो।
3–	अर्हताऐं	अंशकालिक अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी के पास इन्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनाई गयी विनियमावली के अध्याय–2 के विनिमय–1 में विर्निदिश्ट अर्हताऐं होनी चाहिए।
4–	नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया	इन्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7–क के अधीन विशय या विशयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता दी गई है, शिक्षण कार्य के लिए अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन के लिये :–

(क) प्रबन्ध तंत्र द्वारा सम्बन्धित विशय/ विशयों आदि के लिये अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगे। इस हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों जिनका प्रदेश तथा उस क्षेत्र विशेश में, जिसमें विद्यालय अवस्थित हो, व्यापक प्रचलन हो, में विज्ञापित किया जायेगा।

(ख) आवेदन प्त्र प्राप्ति हेतु कम से कम 15 दिन का समय दिया जायेगा।

(ग) उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु विद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा एक चयन समिति गठित की जायेगी, जो निम्नवत होगी :–

(1) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष   अध्यक्ष
(2) प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा
    नामित एक प्रतिनिधि   सद
(3) विद्यालय का प्रधानाचार्य/

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

प्रधानाचार्या सदस्य

(4) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष
द्वारा नामित एक विशय विशेशज्ञ सदस्य

घ(अ) अंशकालिक अध्यापकों का चयन शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

(ब) चयन समिति उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन कर नियुक्ति हेतु प्रबन्धतंत्र को सिफारिश करेगी। तदुपरान्त प्रबन्धतंत्र नियुक्ति पत्र रजिस्टर्ड डाक (पावती सहित) से निर्गत करेगा जिसमें कार्यभार ग्रहण करने हेतु एक माह का समय दिया जायेगा।

(स) नियुक्ति पत्र में, सेवाकाल, सेवा की अन्य शर्ते तथा सामान्य निर्देश अंकित होंगे।

(द) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

(1) शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता तथा अनुभव आदि से समबन्धित मूल अभिलेख, जिसे वाद में लौटा दिया जायेगा।

(2) दो प्रतिशिठत व्यक्तियों द्वारा दिया गया चरित्र एवं व्यवहार प्रमाण–पत्र।

कोई अभ्यर्थी चयनित नहीं किया जायेगा, यदि :–

(क) वह संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत कर दिय गया हो,

(ख) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोशी सिद्ध व्यक्ति हो,

(ग) किसी अंशकालिक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूश अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूश से विवाह किया हो, जिसके पहले से एक पत्नी जीवित हो।

6. परिलब्धियां — अंशकालिक अध्यापकों को प्रबन्धतंत्र अपने श्रोतो से परिलब्धियों का भुगतान करेगा और यह भुगतान सम्पूर्ण शिक्षण सत्र के लिये नियमित रूप से किया जायेगा, जिसका लेखा – जोखा रखा जायेगा। अंशकालिक अध्यापकों को परिलब्धियों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपवन्धों में कुशल श्रमिक हेतु मजदूरी की व्याख्या के अनुसार समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं से निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होगी।

7. प्रबन्धतंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि भविश्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनायें लागू करेगा, जिनमें नियोजक का अंशदान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी श्रोतो से दिया जायेगा।

8. अनुशासिक कार्यवाही — प्रबन्ध समिति निम्नलिखित कारणों से किसी भी अंशकालिक अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर सकती है :–

(क) विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करना तथा आज्ञा न मानना।

(ख) सौपे गए दायित्वों के निर्वाह में लापरवाही करना।

(ग) विद्यालय के अभिलेखा नश्ट करना अथवा क्षति पहुँचाना।

(घ) विद्यालय की सम्पत्ति अथवा धन का दुरूपयोग करना।

(च) विद्यालय में अस्त्र–शस्त्र लाना अथवा उनका प्रयोग करना अथवा धमकी देना।

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

(छ) परीक्षा कार्य नियमानुसार न करना अथवा किसी अनुचित साधन हेतु प्रोत्साहन अथवा उसमें संलग्न होना।

(ज) विद्यालय की गोपनीय पत्रावली, वस्तु अथवा अभिलेख की गोपनीयता भंग करना।

(झ) कक्षा कार्य अथवा गृह कार्य में लापरवाही करना।

9. सेवा समाप्ति

यदि प्रबन्ध तंत्र को यह समाधान हो जाय कि कोई भी अंशकालिक अध्यापक धारा 9 मे वर्णित अथवा किसी नैतिक अधमता के अपराध में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोशी सिद्ध कर दिया गया हो, तो वह इन आंशकालिक अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर सकता है।

(क) किसी भी अंशकालिक अध्यापक की सेवायें समाप्त करने के पूर्व प्रबन्धतंत्र द्वारा आरोपी के विरूद्ध लगायें गये आरोपो की जाँच जांच अधिकारी से कराई जायेगी।

(ख) जांच अधिकारी का तात्पर्य प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त अंशकालिक प्रधानाचार्य या किसी वरिश्ठ अंशकालिक अध्यापक से होगा।

(ग) जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं संस्तुति पर प्रबन्धतंत्र निर्णय लेगा। निर्णय के पूर्व प्रबन्ध तंत्र द्वारा सम्बन्धित अंशकालिक अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा और इसके उपरान्त ही निर्णय लिया जाएगा।

(घ) यदि प्रबन्धतंत्र की निर्णय से संबंधित अंशकालिक अध्यापक विक्षुब्ध हो, तो वह इस निर्णय के विरूद्ध संबंधित जिला विद्यलाय निरीक्षक को अपील प्रबन्ध तंत्र के निर्णय प्राप्ति के दो माह के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

(च) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिये गये निर्णय का पालन प्रबन्धतंत्र करेगा। प्रबंध तंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा लिये गये निर्णय का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रबन्ध–तंत्र के विरूद्ध उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 से सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जा सके।

10. त्यागपत्र / पद समाप्ति

(क) यदि कोई अंशकालिक अध्यापक किसी कारणवश विद्यालय से अलग होना चाहता है, तो वह एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके बदले में एक माह की पारिलब्धियों को जमा करके त्यागपत्र दे सकता है।

(ख) माध्यमिक शिक्षा परिशद द्वारा विद्यालय या उसके किसी विशय की मान्यता को समाप्त करने, किसी अनुभाग को समाप्त करने अथवा किसी अन्य कारणवश, किसी अंशकालिक अध्यापक का पद समाप्त किया जा सकता है, तो प्रबन्ध तंत्र द्वारा सम्बन्धित अंशकालिक अध्यापक को एक माह पूर्व सूचना या उसके बदले में एक माह की परिलब्धियाँ देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उक्त सेवा शर्ते प्रभावी होगी।

भवदीय
ह0 अपठनीय
(नीरा यादव)
प्रमुख सचिव

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image